22

अपील क्रमांक 226/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /05/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 226/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री अनिल कुमार पाठक, प्रदेश संयोजक, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छ.ग. प्रदेश रायपुर, सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी प्रकोष्ठ, 19 आनंद नगर, रायपुर (छ.ग.) 492001 मो.न. 9827191207	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अनिल कुमार पाठक द्वारा दिनांक 30.04.2025 को प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 22.05.2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में अपरान्ह 04.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवायी के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "मुख्य अभियंता महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर का ज्ञापन क्रं. 1576/स्था (2)2022/पार्ट–02, रायपुर दिनांक 23.08.2024 में छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर का पृ.क्रं. 154, 157 दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर पृ.क्रं. 137, 141 दिनांक 01.07.2024 तथा छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर पृ.क्रं. 177, 183, 187 दिनांक 15.07.2024 का उल्लेख कर आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही, नोटशीट व आदेश की सत्यापित छायाप्रति" प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 25.02.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.04.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दि. 22.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया गया।

3. सुनवायी दिनांक 22.05.2025 को अपीलार्थी द्वारा अपरान्ह 4 बजे सुनवायी हेतु अनुरोध किये जाने पर, सुनवायी का समय अपरान्ह 4.00 बजे निर्धारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सही जानकारी नहीं दिये जाने कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रकरण में नियमों के तहत स्थापना शाखा द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने का तर्क देते हुये स्थापना शाखा को पेंशन प्रकरण संबंधी उनके आवेदन का निराकरण किये जाने अनुरोध किया।

......2

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2025 को सुनवायी में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन, जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 03.03.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी हेतु स्थापना कक्ष की ओर दिनांक 06.03.2025 को प्रस्तुत नस्ती, स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 17.03.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी 11 पृष्ठों में समाहित है। उक्त अंकित टीप अनुसार आवेदक को 11X2=22 रू. दस्तावेज शुल्क जमा किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/88/छ.ग./2025/2500, दि. 19.03.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.04.2025 को राशि 22.00 (रू. बाइस) चालान के माध्यम से जमा करने पर, उन्हें कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/88/छ.ग./2025/3276, दिनांक 09.04.2025 को पंजीकृत डाक से प्रेषित की गयी।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है अथवा अपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी है? प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण हेतु सुनवायी के दौरान स्थापना शाखा के प्रकरण प्रभारी श्री धनी सिंह सहायक वर्ग–2 को लोकप्राधिकारी के कार्यालय में संधारित नस्ती सहित बुलाकर उनसे वस्तुस्थिति की जानकारी ली गयी। नस्ती का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा वांछित "मुख्य अभियंता महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर का ज्ञापन क्रं. 1576/स्था (2)2022/पार्ट–02, रायपुर दिनांक 23.08.2024 में छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर का पृ.क्रं. 154, 157 दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर पृ.क्रं. 137, 141 दिनांक 01.07.2024 तथा छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर पृ.क्रं. 177, 183, 187 दिनांक 15.07.2024 का उल्लेख कर आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही, नोटशीट व आदेश" से संबंधित 11 पृष्ठ ही नस्ती में उपलब्ध हैं। नस्ती का अवलोकन भी अपीलार्थी को कराया गया। अपीलार्थी ने पुनः उनके पेंशन प्रकरण के संबंध में शासनादेशों के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) को प्रथम अपील में निर्देशित किये जाने की मांग की गयी। नस्ती इंचार्ज द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी के प्रकरण का निराकरण शासनादेशों एवं नियमों के अनुरूप किया जा चुका है।

6. अधिनियम में निहित प्रवाधानों के तहत प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 के तहत जारी मार्गदर्शिका का अवलोकन किया गया। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. 2719/जी–1312/2009/1–13 दिनांक 27.09.2022 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अद्यतन विवरण के पैरा 10 (अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार) का उद्धरण निम्नानुसार है:–

> **"किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल**

ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से ऐसी सूचना देना भी अपेक्षित नहीं है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालना और/अथवा अनुमान लगाना; अथवा सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना हो।"

7. प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी हेतु जनसूचना अधिकारी द्वारा लोकप्राधिकारी के कार्यालय में संधारित नस्ती में उपलब्ध 11 पृष्ठ अपीलार्थी को पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका के उक्त पैरा 10 अनुसार अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा तद्नुसार अपीलार्थी/आवेदक को अधिनियम में निहित समयसीमा में लोकप्राधिकारी के स्थापना कक्ष में अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित उपलब्ध 11 पृष्ठों की जानकारी प्रदान कर, आवेदन का निराकरण किया गया है।

8. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम अपील प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:—

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी "मुख्य अभियंता महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर का ज्ञापन क्रं. 1576/स्था (2)2022/पार्ट—02, रायपुर दिनांक 23.08.2024 में छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर का पृ.क्रं. 154, 157 दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर पृ.क्रं. 137, 141 दिनांक 01.07.2024 तथा छ.ग. प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायपुर पृ.क्रं. 177, 183, 187 दिनांक 15.07.2024 का उल्लेख कर आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही, नोटशीट व आदेश की सत्यापित छायाप्रति" के संबंध में, जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को अधिनियम में निर्धारित समयसीमा में, लोकप्राधिकारी के स्थापना कक्ष में उपलब्ध 11 पृष्ठों की जानकारी, कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/88/छ.ग./2025/3276, दिनांक 09.04.2025 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को उपलब्ध कराई गयी सूचना, अधिनियम में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप विधिसम्मत है।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./226/बो.प्र./नि.स./2025/4746 नवा रायपुर, दिनांक 27/5/2025

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.बाइर्स.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अनिल कुमार पाठक, प्रदेश संयोजक, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छ.ग. प्रदेश रायपुर, सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी प्रकोष्ठ, 19 आनंद नगर, रायपुर (छ.ग.) 492001 मो.न. 9827191207 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/25

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)